झारखण्ड मजदूर किसान यूनियन

(बाय पास रोड , सुरभी नगर , डाल्टनगंज जिला - पलामू, झारखण्ड 822101)

जन संवाद का प्रतिवेदन सह वन अधिकार मान्यता कानून का वर्तमान अध्ययन

---

21 जून को आइकेंन झा.व्.अ.फोरम और ए.बी.एम.के.एस.एस कि सहभागिता मे JMKU द्वारा आयोजित जन संवाद में ग्यारह गांवों के लोगों ने भाग लिया और वन अधिकार अधिनियम के उल्लंघन पर जनता के साथ संवाद किया |

- कुट्टी गांव के लोगों ने बताया कि कैसे वन अधिकार कानून के तहत उनके दावों को मान्यता दिए जाने के बावजूद उन्हें बेदखल करने कि वन विभाग के द्वारा साजिश किये जा रहे हैं।

(क) इस ग्राम मे चार लोगो को पट्टा दिया गया है वन अधिकार मान्यता कानून 2006 के तहत किन्तु इनके ऊपर वन विभाग उसी खाता और प्लाट मे मुकदमा अजमानतीय धाराओं के तहत किया गया |

(ख) वर्ष 2015 मे 65 दावेदार का दावा पत्र ग्राम वन अधिकार समिति के द्वरा ग्राम सभा से पारित कराकर अनुमण्डल स्तरीय समिति के पास जमा कराया गया था, किन्तु सिर्फ भूमि का पट्टा सिर्फ चार को दिया गया | यह पारंपरिक एकता और ग्राम सभा के जवाबदेही को समाप्त करने का प्रयास किया गया निरीक्षण अथवा जांच येदी हुए तो सभी कि हुए होगी किन्तु सिर्फ चार को ही दिया गया शेष को उलझने का प्रयास किया गया जबकी कानूनन 60 दिनों के अंदर इसका निराकरण हो जाना चाहिए था |

(ग) वर्ष 2001 मे खाता 20 प्लाट 29 , 26 पर दिनाँक – 15 - 09 – 2001 मुकदमा CF / 18 मे जोत कोड़ और अतिक्रमण के आरोप मे वन विभाग के द्वारा किया गया , इस मुकदमा मे प्रति व्यक्ति 200 रूपए कोर्ट से जुर्माना लगा जिसे जमा कर मुकदमा दिनाँक 20 - 08- 2008 को समाप्त कराया गया , पुन: दिनाँक 19-01-2014 को CF / 15 , दिनाँक 28-08-15 को CF / 1193 दिनाँक 28-08-15 को CF / 1194 को मुकदमा हुआ |

पुन: 19-09-2017 को उपबन्ध 2 क्रमांक 981 , 952 , 953 ,954 के तहत कुछ लोगो को भूमि का पट्टा मिला लेकिन इनके ऊपर से मुकदमा समाप्त नही हुआ |

> ग्राम पाट थाना भंडरिया जिला गढ़वा - पीड़ित ग्रामीणों ने बताया कि हमलोग तब से इस क्षेत्र मे रहते है जब वन विभाग का नाम भी नही था ,हम लोग वन विभाग को तब से जाने जब विभाग द्वारा हमलोगों पर मुकदमा कर अत्याचार किया जाने लगा |

(क) जब वन अधिकार मान्यता कानून देश मे लागु हुआ हमलोगों ने भी दिनाँक 16 – 07 – 2016 को कुल 47 दावेदारों द्वारा अनुमण्डल स्तरीय समिति के पास दावा जमा किया गया था | उसके बाद कर्मचारी एवं वन विभाग के द्वारा निरिक्क्ष्ण भी हुआ ,

(ख) लगभग एक वर्ष हुए माननिये उपायुक्त के आदेश पर पुन: पंचायत सचिव ग्राम सभा द्वारा दावेदारों कि सत्यता जांच कर पारित कराया सभी दावेदारों को लेकिन अब तक भूमि का पट्टा नही मिला |

(ग) वर्ष 1990 से अब तक लगातार हमलोग झेल रहे है दिनाँक 28 – 11 – 1990, no. 188P , 187P , 186P , पुन: 31 – 07 – 2013 को CF / 244 के तहत मुकदमा कर प्रताड़ित किया जा रहा है , इसी संदर्भ मे दिनाँक 30 – 04 – 1984 को माननिये बिहार विधानसभा निवेदन समिति के अध्यक्ष श्री इन्दर सिंह नामधारी के द्वारा वन प्रमंडल पधाधिकारी गढ़वा को भी पत्र दिया गया था , लेकिन कोई करवाई नही हुए | पुन: माननिये पूर्व मंत्री झारखण्ड सरकार के श्री के० एन० त्रिपाठीजी ने अपने पत्रांक - 4710 दिनाँक 01 – 09 – 2015 को माननिये उपायुक्त गढ़वा को भी इसी संदर्भ मे लिखा गया था |

- ग्राम बेडमा थाना चैनपुर जिला पलामू के दावेदार ने संवाद के क्रम मे बताया कि हमलोग भी वन विभाग से त्रस्त है लेकिन सिर्फ इसमें वन विभाग ही नही प्रशासन के सभी तंत्र कि मिली भगात है |

(क) खाता 110 प्लाट 1072 , खाता 110 प्लाट 1033 (रेअती) जिसका राजस्व रशीद भी कटता है और यह लाभुक का खतियान मे भी नाम है लेकिन वन विभाग इसे भी अपना जमीन बता कर मुकदमा किया है जिसका न० CF 157 दिनाँक 18 -12 -12 , CF 156 दिनाँक 19 – 12 – 12 , CF 22 दिनाँक 06 -02 – 13 , CF 31 दिनाँक 25 - 02 – 13 ,CF 211 दिनाँक 17 – 12 – 13 , CF 16 दिनाँक 19 -01 – 14 , CF 79 दिनाँक 24 – 3 – 14 , CF 121 दिनाँक 3 – 7 – 14 , CF 144 दिनाँक 23 – 07 – 14 , CF 172 दिनाँक 7 – 9 - 14 सभी पर अतिक्रमण और लगभग 4000 पोधों का काटने कि आरोप है |

(ख) वन अधिकार मान्यता कानून को अस्तित्व मे आने के बाद हमलोग 22 दावेदार अपना दावा अनुमण्डल स्तरीय समिति के पास के पास दिनाँक 17 – 03 – 15 को दिया था , अनुमण्डल कार्यालय से पत्रांक 154 दिनाँक 06 – 04 – 15 को सम्बन्धित अधिकारी को निष्पादन सम्बन्धित पत्र दिया था , अंचल अधिकारी चैनपुर के द्वारा पत्रांक 231 दिनाँक 15 – 04 – 15 को सभी दावे सत्य पाते हुए अनुशंसा किया था , इसके बाद भी हमलोगों को अब तक पट्टा नही मिला |

- ग्राम गोरे अम्बाखाडी थाना रामगढ़ जिला पलामू यह जंगलो के बिच बसा है येहा कुल 40 दावेदारों ने दिनाँक 09-06-17 को वन अधिकार कानून के तहत अपना दावा अनुमण्डल स्तरीय समिति के पास जमा किया था , किन्तु सिर्फ चार दावेदारों को ही

भूमि का पट्टा मिला प्रश्न यह है कि जाँच सभी कि हुई किन्तु सभी को भूमि का मालिकाना हक नही मिलना आदिवासी कि परंपरागत व्यवस्था को प्रसाशन तोड़ने का काम किया है |

(क) येहा के लोगो पर वन अधिकार मान्यता कानून आने पूर्व भी वन विभाग के द्वारा मुकदमा किया गया था | जो दावेदारों कि प्रमाणिकता को दर्शाता है CF 236 दिनाँक 09 – 07 – 1997 , CF 121 दिनाँक 07 – 05 – 2003 , CF 34 दिनाँक 12- 07 – 2001 जो सुचना इस तरह के और भी मुकदमा है |

(ग) सुचना के अधिकार के तहत कि गई कार्यवाही को मांगने पर सुचना नही मिला अपील करने के बाद जो सुचना मिला वह गुमराह करने जैसी है | सिर्फ इससे यह पता चलता कि प्रक्रिया मे है लेकिन सुचना मे जिम्मेवारी और जवाबदेही के प्रति लापरवाही दिखती है |

नोट -

ये चार केश स्टडी सिर्फ उदाहरण स्वरुप है इस तरह कि प्रताड़ना झारखण्ड के पलामू प्रमंडल के तीनों जिलो मे है , उन सभी स्थानों जहां वन अधिकार मान्यता कानून के तहत वनवासी आदिवासी अपनी आजीविका अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिये संघर्ष कर रहे है |

रिपोर्ट -
हेमन्त कुमार दास
महासचिव
जे० म० कि० यु०
मो.न. 8340200920
Mail id. hement_das@rediffmail.com